(3648)

उत्तर प्रदेश सरकार,
चिकित्सा अनुभाग -8,
संख्या-3067/पांच-8-2000-57औषधि/95.
लखनऊ: दिनांक 14 अक्टूबर, 2000.

JO(B.S)

कार्यालय-ज्ञाप

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा जनहित याचिका संख्या-रिटपिटीशन (सिविल) संख्या-91/1992 कामन काज सोसायटी, बनाम यूनियन आफ इण्डिया और राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश में पारित निर्णय दिनांक 4 जनवरी, 1996 के अनुपालन में जारी शासनादेश संख्या-1239/पांच-10-96-57औषधि/95 टी0सी0दिनांक 15 मई, 1996 द्वारा प्रदेश में रक्त कोषों के संचालन, रक्त संग्रह आदि पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के दृष्टिकोण से सुझाव देने के लिए राज्य परिषद् का गठन किया गया था। एतद्द्वारा राज्यपाल महोदय राज्य रक्त कोष परिषद् को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इसका निम्नवत् पुर्नगठन किये जाने हेतु आदेश प्रदान करते है:-

1-प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
2-सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश शासन।	उपाध्यक्ष
3-संस्थागत वित्त सलाहकार, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
4-परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, लखनऊ।	सदस्य
5-महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य
6-महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य
7-निदेशक, चिकित्सा एवं उपचार, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
8-औषधि नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
9-निदेशक, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/ विभागाध्यक्ष पैथोलॉजी विभाग, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।	सदस्य
10-प्रधानाचार्य, के0जी0मेडिकल कालेज, लखनऊ/ विभागाध्यक्ष पैथालाजी विभाग, के0जी0मेडिकल कालेज, लखनऊ।	सदस्य
11-विभागाध्यक्ष, ट्रान्सफ्यूजन मेडिसिन, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/सदस्य राष्ट्रीय ब्लड ट्रान्सफ्यूजन परिषद।	सदस्य
12-सचिव, रेडक्रास सोसायटी, लखनऊ।	सदस्य
13-अध्यक्ष, इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
14-प्राइवेट ब्लड बैंक के दो अनुभवी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नामित किया जाय।	सदस्य

....2/-

15-स्वैच्छिक समाज सेवी संगठन के सम्बद्ध दो व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नामित किया जाय। — सदस्य

16-प्रमुख अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ। — सदस्य

17-संयुक्त निदेशक, §रक्त सुरक्षा§ उत्तर प्रदेश राज्य एड्स सोसायटी, लखनऊ। — सदस्य सचिव।

उक्त राज्य परिषद का कार्य क्षेत्र निम्नवत् होगा:-

1-रक्तकोषों के लिए स्वैच्छिक रक्तदाताओं को प्रेरित करने के लिए उपाय/सुझाव देना।
2-रक्तकोषों में कार्यरत कार्मिकों के प्रशिक्षण पर सुझाव देना ।
3- रक्तकोषों के आधुनिकीकरण के लिए सुझाव देना ।
4-रक्तकोषों से सम्बन्धित गठित राष्ट्रीय परिषद का सुझाव प्राप्त करना ।
5-इस प्रकरण पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दिये गये निर्णय में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुरूप परामर्श देना तथा इसके कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश/संस्तुति देना ।
6-विषय से सम्बन्धित किसी अन्य बिन्दु जिसे परिषद आवश्यक समझे पर भी विचार कर दिशा-निर्देश देगी ।

उक्त परिषद का कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, लखनऊ के परिसर में स्थापित होगा ।

परिषद के सदस्य सचिव आवश्यकतानुसार बैठकों का आयोजन अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त सुनिश्चित करायेंगे ।

परिषद में आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

परिषद के राजकीय सेवा के सदस्यों का यात्रा भत्ता उसी लेखा शीर्षक से देय होगा जिस शीर्षक से वह वेतन प्राप्त कर रहे है।

परिषद के क्रम संख्या-14 में उल्लिखित सदस्यों, जो रक्तकोषों के अनुज्ञापनी हैं, कि सदस्यता औषधि एवं प्रसाधन नियमावली के विरुद्ध कार्य करने अथवा अनुज्ञप्ति निरस्त होने की दशा में स्वतः समाप्त समझी जायेगी। यह सदस्यता अधिकतम 2 वर्षों के लिए होगी यदि इसे इस अवधि के पूर्व ही राज्य सरकार द्वारा समाप्त न कर दिया जाय।

परिषद के क्रमांक-15 में उल्लिखित, सदस्यों की सदस्यता 2 वर्ष के लिए होगी जिसे इसी अवधि के बीच में ही यह समाधान हो जाने पर कि इनकी सदस्यता की अब आवश्यकता नही है, शासन द्वारा समाप्त की जा सकती है।

परिषद् की वित्तीय व्यवस्था हेतु अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।
अध्यक्ष यदि आवश्यक समझते हैं तो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कार्यक्षेत्र में अन्य बिन्दुओं को सम्मिलित कर सकते हैं, एक माह में 3बार बैठक बुला सकते है।

§ के0 के0 सिन्हा §
सचिव।

...3/-

संख्या-3067(1)/पाँच-8-2000-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3- औषधि नियंत्रक, उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
4- सम्बन्धित कमेटी के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्य गण।
5- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त कमेटी के पुर्नगठन की सूचना समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
7- चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(उमेश चन्द्र तिवारी)
विशेष सचिव।